

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



AK 819148

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

न्यास(ट्रस्ट) का नाम व पता -  
आर्ष एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट,  
सुल्तानपुर उर्फ बनौरा-मऊ।  
उद्देश्य-

1. बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. समाज के सभी आयुवर्ग या समुदाय के लोगों को योग एवं ध्यान व वास्तु विद्या की शिक्षा प्रदान करना।
3. मध्य विद्या, प्रौढ़ शिक्षा एवं दहेज सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
4. बालक/बालिकाओं/महिलाओं को आवासीय/अनावासीय कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
5. पशुपालन, मत्स्य पालन की योजनाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा मानव कल्याण के लिए उस क्षेत्र में काम करना।
6. विकलांग तथा बुढ़ों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करना।
7. अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर संचालित करना और अल्पसंख्यकों को निःशुल्क मार्गदर्शन करना।
8. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास की विभिन्न प्रकार की आवश्यकतानुसार योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर क्षेत्र विशेष में आवश्यकतानुसार संचालित करना।
9. सांस्कृतिक कार्य विभाग, पर्यावरण विभाग एवं चिकित्सा विभाग के कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना।
10. संस्था द्वारा खादी बोर्ड/आयोग द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा संस्था की चल/अचल सम्पत्ति बंधक तथा हाईपोथिकेशन आदि की व्यवस्था करना।
11. संस्था द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूकता शिविर लगाना उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी परामर्श देना।

Shri Kamal Rai

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819149

(2)

12. संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना और ग्राम विकास विभाग सम्बन्धी योजनाओं का संचालन करना ।
13. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सम्बन्धित विभाग से संचालित की जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर क्षेत्र विशेष को आवश्यकतानुसार संचालित करना ।
14. खादी बोर्ड द्वारा अनुदान तथा ऋण आदि की व्यवस्था करना, धर्मशाला, अनाथालय तथा निःशुल्क चिकित्सा आदि के प्रचार-प्रसार के लिए शिविर आदि का आयोजन करना ।
15. समाज के साधन विहिन बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र०खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन तथा ग्रामोद्योग आयोग के योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करना व स्थापित उद्योग से उत्पादन एवं बिक्री करना इससे होने वाले लाभों को चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।
16. सरकारी, गैर सरकारी, प्राईवेट संस्थाओं से ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के विकास में लगाना ।
17. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इण्टरनेट साइबर कैंफ, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेटिंग, जरी, कढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत-नाट्य, वाद्य कला, नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, व्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए.सी. रेफ्रिजेशन, फैंशन डिजाइनर, एक्सरे, टेक्नीशियन, लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टवेयर, नृत्यथियेटर, माडलिंग, पेंटिंग, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

Shri Kumar Rai



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819150

(3)

18. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेंट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनीपचारिक शिक्षा केन्द्रों, आँगनवाड़ी, बालबाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों, घरवाहा विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
19. निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
20. गरीब, हरिजन विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्राओं की व्यवस्था करना।
21. बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
22. विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना।
23. मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहतानियां, फौकानियां, आलिया, हाफिज, कारी, मुंशी मीलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती निस्वों मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

Shri Kumar Ka



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819151

(4)

24. मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के नियमानुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महिला विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना मजहबे इस्लाम की तबलीग करना।
25. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन, वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
26. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्ल्यूएचओ, सिडनी, अवार्ड, कपार्ट, नवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, इवाकरा अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार स्वजलधारा, सिप्सा, नरेगा व मनरेगा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना तथा बिजली विभाग संचालित योजना बिल/चार्ज कलेक्शन को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास करना।
27. बालक/बालिकाओं, कलाकारों, के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनीयों आदि का आयोजन, संचालन करना, सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना नेहरू युवा कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।
28. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन, विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
29. वाटरशेड एसोसियेशन/जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेन्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

Shri Kernal Row



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819152

(5)

30. मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह नसंबंधी शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियों, शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स अपंगता, कुष्ठ अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
31. कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंग पाउडर, स्लीविंग पाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, बिस्कुट, नील, चाय, कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
32. समाज में व्याप्त कुश्रितियों यथा, दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गोंजा, अफीम, भांग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों का नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करेगा।
33. गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में नि:शुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
34. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन करना।
35. कस्तूरबा गोंधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा मिड-डे-मिल योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
36. समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, बी0टी0सी0 आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना।

Shri Kamal Rao

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819153

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- (6)
37. दैवी आपदा यथा बाढ़ सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तुफान, आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा-इलाज आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।
  38. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना।
  39. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।
  40. स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।
  41. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण, हत्या को रोकने का प्रयास करना।
  42. सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।
  43. मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग होमों, फार्मसी, पैथलाजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिटी, कार्डियोलॉजी सीटी0/एम0आर0आई0, आडियो, मीटरी, इक्यूपमेण्ट, मेन्टेन्स, हास्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ0टी0टेक0, ए0एन0एम0, जे0एन0एम0,

Shri Kamaal Roy

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819153

(6)

37. दैवी आपदा यथा बाढ़ सूखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तुफान,आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,दवा-इलाज आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।
38. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना,उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार -प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना ।
39. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।
40. स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।
41. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण,हत्या को रोकने का प्रयास करना ।
42. सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना ।
43. मेडिकल कालेज,पैरामेडिकल कालेज,नर्सिंग होमों, फार्मसी, पैथलाजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिटी, कार्डियोलाजी सी0टी0/एम0आर0आई0,आडियों, मीटरी, इक्यूपमेण्ट,मेन्टेन्स, हास्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ0टी0टेक0, ए0एन0एम0, जे0एन0एम0,

Shri Kameshwar

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819154

(7)

- इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर आदि प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
44. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कुष्ठ,मलेरिया,काला आजार,डेंगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग जनित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय संचारी रोग,निगरानी कार्यक्रम,कैंसर,टी0बी0चेचक,गिनी,कृमि,याज आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगो को प्रशिक्षण करना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।
45. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों,आई0 सी0 एस0ई0 विद्यालयों,इन्दिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालयों,फार्मेसी-कालेजों,मेडिकल कालेजों,इंजीनियरिंग कालेजों,संस्कृत महाविद्यालय आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
46. स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण मे सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा,इक्यूप्रेसर, एल्योपैथिक, योगा एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
47. अल्पसंख्यकों के लिए अंग्रेजी माध्यम से स्कूल,कालेज,मेडिकल कालेज,इंजीनियरिंग कालेज,उर्दू,अरबी,विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रयास करना ।
48. इग्नो पी0टी0यू0, यू0पी0टी0यू0-दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संस्थान, कनार्टक विश्वविद्यालय, आन्ध्र विश्वविद्यालय, तमिलनाडू विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन,मुक्त विश्वविद्यालय,पूर्वांचल विश्वविद्यालय आदि से सम्बद्धता प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के पार्ट टाईम,फूल टाईम,रेगुलर तथा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करना तथा इनके द्वारा बी0ए0,एम0ए0,बी0बी0ए0,एम0बी0ए0,एम0सी0ए0,एम0बी0बी0एस0जैसे आदि टेक्निकल व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करना व नियंत्रित करना ।

Shri. Kamal Rai



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819155

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

49. निजी विश्वविद्यालयों की देशहित में राज्य व केन्द्र सरकार के मंजूरी व नीतियों के अनुसार स्थापना करना तथा मान्यता प्राप्त कर देश में स्थापित विश्वविद्यालयों की रिजिनल कोऑर्डिनेटिंग करने का प्रयास करना।
50. गरीबों के सामाहिक वैवाहिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
51. कृषि में जैविक एवं वनस्पतिक खादों का विकास करना।
52. समाचार पत्रों, अनुसंधानिक पत्रों का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।
53. समाज में मानसिक एवं चारित्रिक विकास हेतु कार्य करना।
- और यतः एवं अब इस न्यास विलेख की स्वेच्छा एवं इस सद्विचार से निष्पादित किया जाता है।
- अतः इस प्रकार यह न्यास विलेख निम्नलिखित रूप में विलिखित किया जाता है—
1. यह कि संस्थापक जो उपरोक्त धनराशि रू0 5000/- (पांच हजार) जिसका कि वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी है। उसे यहाँ न्यास के अनन्य रूप से व्ययन हेतु हस्तान्तरित एवं अनुदानित करता है, जिसे न्यासीगण होने के लिए और विशेष रूप से उपरिवर्णित प्रयोजन एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं। न्यासी उपरिवर्णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस न्यास निधि का समुचित उपयोग एवं उपभोग करेंगे। संस्थापक यहाँ आज की तिथि से हमेशा के लिए उक्त सम्पत्ति से प्रत्येक दावों तथा हक का त्यजन करता है।
  2. यह कि उपरोक्त धनराशि रू0 5000/- (पांच हजार) न्यास की सम्पत्ति एवं कार्य होगी। जो यहाँ न्याय सम्पत्ति के नाम से जानी जाएगी। 'न्यास सम्पत्ति' के नाम से जानी जाएगी। 'न्यास सम्पत्ति' के अर्थ में उपरोक्त धनराशि रू0 5000/- (पांच हजार) सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त भी इनके अन्तर्गत न्यास द्वारा परिवर्णित अनुवृद्धिक और अर्जित किसी तरह की कोई भी सम्पत्ति निहित होगी या किसी अन्य स्रोत से विधतः उपार्जित सम्पत्ति भी 'न्यास सम्पत्ति' की कही जाएगी।

*Dr. Kumar Rai*

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819156

(9)

4. यह कि न्यास का मुख्यालय सुल्तानपुर उर्फ बनौरा तहसील सदर,जनपद-मऊ होगा । न्यासी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह समय-समय पर मुख्यालय जहाँ चाहे वहाँ स्थानान्तरित कर सकते है, और भारत के किसी भी स्थान पर उपरोक्त न्यास के नाम से कार्यालय या शाखा खोल सकते है।
5. न्यास के उद्देश्य हेतु आर्य एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से प्रचार एवं प्रसार सम्पूर्ण भारत में होगा ।
6. न्यासीगण उपरोक्त न्यास सम्पत्ति पर अपना धरणाधिकार रखने हेतु अधिकृत किए जाते है।
  - (अ) न्यासीगण, सम्पत्ति के अधिशेष,ब्याज,लाभांश और आय प्राप्त करेगें,और अन्य न्यास कार्य हेतु व्ययन करेगें,जो न्यास के हित में होगा ।
  - (ब) न्यासीगण,न्यास सम्पत्ति के अधिशेष,ब्याज,लाभांश या अन्य आय से अदायगी और न्यासी ऐसे इच्छित हो कि न्यास हित में न्यास सम्पत्ति के कार्य या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य के प्रयोजन हेतु खर्च करता है, न्यासी को न्यास के प्रयोजन में सम्पूर्ण भारत में न्यास सम्पत्ति अर्जित करने एवं खर्च करने का अनन्य एवं स्वविवेकाधिकार होगा जिसे वह उचित समझते हो।
  - (स) बिना किसी पूर्वाग्रह के सामान्य तथा वर्णित खण्डों में यह यहाँ घोषित किया जाता है कि न्यासी उपरोक्त न्यास की उद्देश्य पूर्ति हेतु न्यास सम्पत्ति उपार्जित,आय का उपयोजन,उपभोग या भुगतान के अधिकारी होंगे और न्यास के उद्देश्य के पूर्ति में स्थापना सनिर्माण अर्जन,पोषण,उन्नयन अग्रसारण,परिचालन,समर्थन करने में न्यासीकरण का स्वविवेकाधिकार होगा ।
- (1) न्यास की सम्पत्ति न्यासी में संमाहित होगी जो न्यास के उद्देश्य के पूर्ति में प्रबन्धन एवं पोषण हेतु रखेगें, जो यहाँ वर्णित शर्तों एवं निबन्धनों के खर्च उपयोग एवं व्यवधान करेगें।
- (2) यहाँ कम से कम और 5 से अधिक न्यासी सदस्य नही होंगे जिसे न्यास परिषद नाम से जाना जायेगा परिषद का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा गठित किया जाता है।

Shri Kamalakar

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819157

(10)

1. शिवकुमार राय पुत्र स्व० वीर बहादुर राय  
निवासी सुल्तानपुर उर्फ बनौरा, सदर, जनपद-मऊ (आजीवन अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी)
2. नीतू राय पत्नी श्री शिवकुमार राय  
निवासी सुल्तानपुर उर्फ बनौरा, सदर, जनपद-मऊ (कोषाध्यक्ष)
3. गेशमती देवी पत्नी स्व० वीर बहादुर राय  
निवासी सुल्तानपुर उर्फ बनौरा, सदर, जनपद-मऊ  
नि०भीटी, तह०सदर, जनपद-मऊ (उपाध्यक्ष)
4. आनन्द कुमार राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय  
नि०-कसारी, तहसील-सदर, जनपद-मऊ (सचिव)
5. साध्वी राय पत्नी श्री सुनील राय  
निवासी-अस्तुपुरा, तहसील-सदर, जनपद-मऊ। (सदस्य)

Ehs kumar Rai



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50



FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819158

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- (11)
- अध्यक्ष— न्यासीगण, न्यास व न्यास परिषद की नियुक्ति करेगें न्यास व न्यास परिषद का अध्यक्ष सर्वसम्मति से शिव कुमार राय को आजीवन नामित किया जाता है। यह पद वंशुगत चलता रहेगा। अर्थात् अध्यक्ष के जीवन काल या त्याग पत्र के बाद, उनके पुत्र ही अध्यक्ष होंगें। न्यास व न्यास परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकृत किया जाता है कि किसी भी अन्य न्यासी या सदस्य को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए हटा सकेगा और उक्त रिक्त को किसी नये सदस्य द्वारा भरेगा, जो उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के प्रतिकूल होने पर भी यह खण्ड प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के कार्य अग्रलिखित अन्य अनुच्छेदों में वर्णित है।
7. अध्यक्ष एवं संस्थापक न्यासीगण आजीवन सदस्य रहेंगें, स्वेच्छा से लिखित त्याग-पत्र देने पर या मृत्यु होने पर इनकी सदस्यता समाप्त होगी इनके अतिरिक्त कोई भी न्यासी या सदस्य निम्नलिखित विनिर्दिष्ट घटनाओं के अपघटन पर अपने कार्यों से अवमुक्त हो जाएगा।
- (अ) लिखित पर त्याग(त्याग पत्र) द्वारा
- (ब) मृत्यु होने पर।
- (स) न्यास परिषद को बिना कोई समुचित कारण बताए तीन मीटिंग में अनुपस्थित होने पर।
- (द) मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम होने पर।
- (य) न्यास सम्पत्ति का अपवंचन करने पर।
- (र) न्यायहित में कार्य न करने पर या उक्त उद्देश्य की पूर्ति में प्रतिकूल कार्य करने पर।
- (ल) कोई विधि बाधा उत्पन्न न होने पर।
8. न्यासी के उद्देश्य के अग्रसरण में अपना नियम व उपविधि बनाएंगें।
- (अ) न्यास का कार्य न्यास के नियमों या प्रस्ताव के अनुरूप बुलाई गई न्यासी सभा/न्यास परिषद के बहुमत से पारित किया गया हो ऐसा प्रस्ताव के बनाए गये नियम वैसे ही प्रभावकारी व बाध्यकारी होंगे जैसे कि न्यास के अध्यक्ष और दो अन्य न्यासी के द्वारा

Om! Kumar Rao

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819159

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

- सहमति प्रपत्र होने पर होती है। ऐसा प्रस्ताव वैसे ही प्रभावकारी व बाध्यकारी होगा जैसे की न्यासी का निर्णय विधि समस्त सभा में पारित किया गया हो।
- (स) न्यासी की सभा वर्ष में कम से कम दो बार आहूत होगी और न्यास परिषद व न्यास के यह अधिकार होगा कि वह यह समय और अभिलिखित कर सकती हो।
- (द) न्यास की सभा न्यास के कार्यालय में या अन्य स्थान पर जहाँ अध्यक्ष को सुविधाजनक लगे या उनके द्वारा आदेशित किया गया हो आहूत होगी।
- (य) साधारणतः इसकी सूचना समय से पूर्व दी जाएगी जबकि सभी न्यासी सदस्य भारत में मौजूद हो और सूचना सामान्य या पंजीकृत डाक से इस न्यास सदस्य के पिछले समय से पते पर भेजी जाएगी। न्यासी उसको छोड़कर जो भारत में नहीं है जो प्रस्ताव में या सूचना को किसी न्यासी के पास भेजने में बाधा उत्पन्न करेगा उससे सभा की कार्यवाही अवैध नहीं मानी जाएगी।
- (र) पूरी संख्या का  $1/3$  न्यासियों की संख्या से गणपूर्ति बनाएंगे। परन्तु ऐसी गणपूर्ति किसी स्थगित सभा के लिए आवश्यक नहीं होगी।
- (ल) सभा आधे घण्टे के भीतर सूचित समय से पहले प्रारम्भ होगी और यदि ऐसे समय में गणपूर्ति नहीं है या अन्य रूप से निर्देशित है सभा अगले दिन उसी समय व स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी परन्तु स्थगित सभा केवल सूचित कार्य सूची व्यवहार में लाएगी।
- (व) न्यास को यह अधिकार होगा कि वह इस न्यास की उपसमिति गठित करेगी और उसके यह शक्तियाँ देगी जिसको वह उचित समझते हैं। न्यास इस परिषद समिति या उपसमिति की समाप्त कर सकती है या पुनर्गठित कर सकती है और किसी भी समय वह शक्तियाँ आहरित कर सकती है। अध्यक्ष और सचिव को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियाँ किसी अन्य न्यासी या किसी अन्य पदाधिकारी को दे सकते हैं।

श्री श्री कुमार

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819160

(13)

9. न्यास अपने नियम उपनियम या पदधारी कर्तव्यों की सुनिश्चित करते हुए बना सकती है।
- (अ) न्यास में निम्नलिखित पद होंगे—  
(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) शेष एक सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर शेष पदाधिकारी कुछ समय के लिये रखे जायेंगे जितने समय के लिये न्यास उचित समझे वे पुनर्पदावस्थित हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय में एक या एक से अधिक पद धारित नहीं कर सकता है। प्रारम्भिक सचिव संस्थापक की इच्छा से जो कि अपना पद बनाए रखेगा जब तक कि न्यासी या अध्यक्ष अन्य व्यक्ति को न्यास का सचिव न बना दें।
- (ब) न्यास का अध्यक्ष सामान्यतया न्यास की मार्गदर्शित करेगा तथा उसके कार्य आदेशित या पुनरक्षित करेगा। वह न्यास से अन्य सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेगा परन्तु उसके अनुपस्थिति में सभा को अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह न्याय के किसी कार्य या प्रस्ताव पर अपना निषेधाज्ञा व अपना निर्देश दे सकें।
- (स) उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमानुसार मान्य होगा।
- (द) सचिव न्यास के मसौदा, अभिलेख व पंजिका व्यवस्थित करेगा और न्यास की सभा अध्यक्ष की अनुमति से बुलाएगा तथा न्यास के निर्णयों को सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करेगा वह कार्यालय व अभिलेखों का प्रभारी होगा व प्रबन्धक के पर्यवेक्षण का कार्य करेगा।  
कि वह न्यास के किसी कार्य या प्रस्ताव पर अपना निषेधाज्ञा व अपने निर्देश दे सके।
- (य) कोषाध्यक्ष सभी कोषों और सम्पत्ति का प्रभारी होगा तथा सभी दान व चन्दा एकत्रित करने के लिए अधिकृत होगा वह सभी तरह का भुगतान करेगा व लेखा बही व्यवस्थित करेगा।

Omni Kumar Raw

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819161

(14)

- (र) अन्य पदाधिकारी अपने कार्य उसी प्रकार करेगा जैसा कि न्यास या अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया हो ।
10. न्यासी के वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक न्यास की सम्पत्ति या उसके अर्जित आय से या विधि सम्मत श्रोत से मिली आय से पूरा करेगा ।
11. न्यासी अध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह न्यास के लाभ के लिए न्यास में लिखित नियमों के अनुसार कोई भी प्रयास कर सकते हैं ।
12. न्यासी को न्यास के अग्रसर या लाभदायी समोत्थान या उसके संचालन में सभी कार्य को करने की पूर्ण शक्ति जो न्यास विलेख के शर्तों के अधीन होगी
- 13(अ) न्यास इस विलेख द्वारा अधिरोपित निर्वचनाओं के मात्र शर्ताधीन न्यास के उद्देश्य तथा प्रयोजन के लिए एकमात्र एवं अनन्य रूप से न्यास सम्पत्ति से प्राप्त सम्पूर्ण आय का न्यासी उपयोजन करेगा और विधि किसी समय जहाँ यह सम्भव नहीं है ऐसे सम्पूर्ण आय के लिए वे निधि का संचय करेगा और न्यास सम्पत्ति किसी भी वर्ष में समाप्त नहीं होगी तथा न्यासी प्रयोजन के लिए सभी विधिक और परिनियमित औपचारिकताओं का पालन करेगा ।
- (ब) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त न्यासीगण न्यास सम्पत्ति का उपभोग स्वयं के लिए नहीं करेगा न्यास के उद्देश्य के अग्रसरा के लिए और न्यास के हित में न्यास की पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग या किसी भी तरह की अस्तित्वों या न्यासी किराया,पट्टा बेचना या विनियम या इसी प्रकार का आदान प्रदान करने के हकदार होंगे ।
14. न्यासीगण न्यास के प्रयोजनों के लिए भूमि,भवन,चल,अचल,सम्पत्ति जो न्यास की कार्य में किस तरह समाहित हो सके क्रय या पट्टा या अन्य विधि सम्मत तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ।
15. न्यासी न्यास सम्पत्ति या न्यास के प्रयोजनों के लिए निर्मित या अर्जित भवन परिसर या उसके किसी भाग भूमि या भवन भूमि जो न्यास में निहित है को किराया पर दे

Shri. Kamal Lou

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819162

(15)

- सकते है उप पट्टा समुपयोग के अधिकार को किसी रियायत या अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार के किराये का स्वामित्व किसी व्यक्ति को वर्ष दर वर्ष या ऐसी शर्तों पर वर्षों के लिए जैसा कि उपयुक्त समझे अन्य शर्तों पर दे सकते है और किराया या स्वामित्व न्यास सम्पत्ति के किसी भाग से ग्रहण करे तथा तदनुसार लागू होगा ।
16. न्यासी किसी भी समय यदि वे यह मानते है कि न्यास हित में आवश्यक है कि न्यास हित मे लिए किसी शर्त पर अन्यथा वह उचित समझते है कि किसी बन्धक पर ऋण आवश्यक है ले सकते है ।
- (अ) न्यासी न्यास के किसी विशेष या सामान्य उद्देश्य के पूर्ति हेतु अनुदान अंशदान और अभिदान उपहार न्यास के नाम पर या अन्य तरीके से किसी व्यक्ति निगम संस्था राज्य या किसी देश के केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी अन्य न्यास संस्था के रूप मे या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण और ऐसे सभी तरीकों से जैसे की सोना चाँदी के रूप मे धन आभूषण यंत्र कार्यशाला उद्योग चालू समुत्थान भण्डार कच्ची सामग्री या उसके बने पदार्थ स्वात्तधिकार अधिकार अनुज्ञप्ति अधिकार अनुज्ञप्ति लाभदायी जानवरों को रियासत और सभी प्रकार स्थाई व अस्थायी सम्पत्तियों स्वीकार कर सकते है । परन्तु तथापि न्यासी बिना कोई कारण बताए स्वविवेक से ऐसे किसी भी दान या निर्माण की स्वीकार करने से मना कर रहे है । ऐसे सभी प्रकार के अंशदान या दान किसी प्रकार की स्थाई या अस्थायी जो भी हो न्यासी द्वारा प्राप्त किए जायेगें जो न्यास सम्पत्ति को कार्य व भाग होगी ।
- (ब) ऐसा दान या अनुदान किसी न्यासों द्वारा स्वीकार की गयी तो वह ऐसा बरता जाएगा जैसा कि उसके खर्च और व्यय के सम्बन्ध में न्यास विलेख के शर्तों व नियमों के अनुसार हमेशा निर्णय द्वारा पुष्ट किया जाएगा ।

Chit Kumar



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819163

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- (16)
17. न्यासी के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी भी स्थाई सम्पत्ति या न्यास निधि की उपलब्धियों या उसकी आय को गिराए नवीनीकरण पुनर्निर्माण, परिवर्तन संवर्धन विकास या मरम्मत जैसाकि वह उचित समझते हो कर सकते है। न्यासी किसी सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति या स्वामी के साथ करार या अभिसमय और निर्वर्बन्धनों या अन्यथा और अन्य सम्पत्ति में समाविष्ट सम्पत्ति के लाभ के लिए या ऐसी अन्य सम्पत्तियों जैसा वे समय-समय पर उचित समझे उनके पूर्णतः विवेकाधीन हो सकती है करने हेतु भ्जी अधिकृत होंगे।
18. न्यासीगण किसी परिसर जो न्यास निधि में समाविष्ट है के विरुद्ध फर्म द्वारा हानि ज्वलनशील या सिविल अशान्ति या अन्य जोखिम या हॉनियों के बीमा हेतु भी शक्ति रखेंगे जैसा कि न्यासीगण समय-समय से उचित समझते हो। न्यासीगण को यह भी अधिकार होगा कि समय-समय पर उचित समझते हो। न्यासीगण को यह भी अधिकार होगा कि समय समय पर सभी भाड़ों, करों व अन्य निर्गमियों और परिधि के बाहर के खर्च और स्थाई सम्पत्तियों के लाभों से अधिशेष को समाप्त करेगा। ऐसी राशियां या धन जिसे न्यासीगण उचित विचार द्वारा भारी पुर्ननिर्माण अवक्षरण के प्रयोग द्वारा ऐसी राशि जो भारी पुनर्निर्माण के खर्च या अवधारण के लिए प्रयोग द्वारा या विशेष निधि और उसके प्रयोग में और भारी पुनर्निर्माण के लिए अन्य आय पुनसंवर्धन के लिए या अस्थाई सम्पत्ति के लिए नवीनीकरण या नये भवन के निर्माण के लिए खर्च उसी प्रकार से किए जाएंगे जैसा कि न्यासीगण विचार करके खर्च करने हेतु अधिकृत किए हो। यह भी विधि सम्मत होगा कि वह किसी धर्मादा प्रणाली या अन्य धर्मादा उद्देश्य के लिए या किसी अस्थाई सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति की उपलब्धियों को धारित प्रयोग और उपभोग की अनुज्ञा देगा। न्यासीगण की ऐसी शर्त जिसे वह उचित समझते है कि कर्मचारीगण या न्यास के किसी कर्मचारी या सलाहकार को या उसके किसी अन्य भाग अनुज्ञात करने के लिए स्वतंत्र होगा।
19. (अ) न्यासीगण वर्ष में एक बार न्यास से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियों उत्तरदायित्वों एवं प्राप्त आगमनों एवं न्यय में उपगत व्ययों की एक लेखा विवरणी रखेंगे। ऐसी लेखा
- Shri Kamalakar*

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819164

(17)

विवरण का परीक्षण सम्परीक्षा और प्रमाणीकरण न्यासीगण द्वारा होगा। या ऐसा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट द्वारा जिसे न्यासीगण समय-समय पर ऐसी पारिश्रमिक या अन्य रीति से जैसा कि निर्णय ले नियुक्ति कर सकते हैं। इन वार्षिक सम्परिक्षित लेखों का विवरण जैसा ही तैयार हो न्यासीगण द्वारा तुरन्त हस्तान्तरित एवं स्वीकृत होंगे

- (अ) न्यास की सभी लेखा पुस्तकों को न्यास के मुख्य कार्यालय या अन्य किसी ऐसे स्थान पर जहा न्यासीगण निर्णीत करें रखी जाएंगी।
20. न्यासीगण किसी व्यक्ति जो ऐसे वेतन पर या सम्मानित सचिव या प्रबन्धक और अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण जो न्याय के लेखा पुस्तकों की विलिखित एवं संरक्षित करें तथा पत्र संव्यवहार करें तथा व्यास के कार्यों को अग्रसारित करने में जो भी अन्य कार्यालय के कार्य हो उसके सम्पादन करने के लिए न्यासीगण ऐसी किसी वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझते हो संस्थापक न्यासीगण के अतिरिक्त न्यासियों को न्यास की सेवा से किए कार्यों के लिए वेतन भुगतान भी किया जा सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे।
- (अ) यदि न्यास परिषद का कोई सदस्य या पदाधिकारी न्यास द्वारा विज्ञापित पद पर कार्य करने की योग्यता रखता हो तो उसे नियुक्ति में वरीयता दी जायेगी तथा न्यास परिषद द्वारा निर्धारित वेतनमान उसे देय होगा।
21. अध्यक्ष को किसी आपातकाल स्थिति में निम्नलिखित नियम बनाने का अधिकार होगा जो इस विषय पर बनाए गये किसी नियम के अधीन होगा।
- (अ) न्यास को किसी समा करने के लिए 24 घण्टे की सूचना देना।
- (ब) न्यास की पूर्व मंजूरी के प्रत्याशा में रु० 50000 से अधिक खर्च न करने हेतु अधिकृत होगा।
- (स) न्यास की पूर्व मंजूरी के प्रत्याशा में किसी भी कार्य को कर सकेगा।
- (द) न्यास के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अधिकृत होगा।

*Shri Kema...*

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819165

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

- परन्तु उपर्युक्त वर्णित समव्यवहारों के लिए यह हमेशा आवश्यक होगा कि उक्त समव्यवहारी को 3 माह के अन्तर्गत न्यास के अनुमोदन हेतु तुरन्त न्यास की सभा में रखा जाएगा ।
22. न्यास की परिसम्पत्तियों का उपभोग केवल न्यास के उद्देश्यों के प्रति पूर्ति में किया जाएग और न्यास के किसी परिसर के किराया के भुगतान न्यासी के रूप में कि गयी ऐसी किसी वास्तविक सेवा के लिए वेतन या अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त न्यासीगण किसी लाभ या लाभान्श को न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हो सकते हैं।
23. इस न्यास विलेख में लिखित लक्ष्य उद्देश्य प्रयोजन और अन्य उपबन्ध विधि अनुरूप होंगे इसलिए यह न्यास विलेख कभी भी निष्फल न होगा लेकिन किसी समय यदि न्यासी यह पाये कि उसकी जानकारी में यह आता है इसका कोई भी उपलब्ध यह विधितः अवैध या विधि के प्रतिकूल है तो यह उसे कर्तव्य से होगा कि वह ऐसे विशेष उपबन्ध को समाप्त कर दें ताकि अन्य उपबन्ध प्रभावहीन अवैध न हो। इस न्यास में लिए गये एक वचन शब्द जहाँ किस संदर्भ में कोई बहुवचन शब्द स्वीकृत या आवश्यकतानुसार बहुवचन शब्द विवेचन विवरणित होंगे।
24. न्यास परिषद को न्यासियों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से न्यास पत्रक में इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार होगा कि न्यास के मूल व मूल उद्देश्यों के परिवर्तन न हो ।
25. न्यास का एक या एक से अधिक बैंकों में खाता खोल सकता है। जिसका संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष करेंगे।
26. न्यास का वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।
27. न्यास आवश्यक लेखा पुस्तिकाएं तथा विभिन्न संव्यवहारी से सम्बन्धित अभिलेख रखेगा जो सभी न्यासीगण के निरीक्षण हेतु खुला रहेगा जो निम्न होंगे।

Shri. Kamal Roy

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AK 819166

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(19)

1. न्यास सम्पत्तियों की पुस्तिका
  2. सभा के कार्य सूची तथा मसौदा को पुस्तिका
  3. निर्गम/आगम एवं सम्प्रेषण पुस्तिका ।
  4. दैनिक वही रोजनामचा ।
  5. लेखा पुस्तिका/ रोकड़ वही ।
  6. समय समय पर न्यासीगणों के नाम व पतों का अभिलेख ।
  7. अन्य ऐसे अभिलेख तथा फाइलें जैसा आवश्यक हो ।
28. सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी यदि ऐसा संस्थापक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित है और इसकी अनुपस्थिति में अन्य पदाधिकारी द्वारा जिसे न्यास परिषद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है के हस्ताक्षर से यथा रीति संविदा में प्रवेश करेंगे जो पूर्व में विनिर्मित विनियमों के शताधीन होगा ।
29. न्यास द्वारा कोई वाद सचिव के नाम से ही संस्थिति (दाखिल) किया जाएगा और न्यास के विरुद्ध कोई वाद सचिव के नाम से ही लाया जाएगा तथा न्यास सम्बन्धित किसी विवाद का क्षेत्राधिकार मऊ में ही होगा ।
30. न्यास की क्षतिपूर्ति में जहाँ पदाधिकारीगण द्वारा या न्यासीगण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किए गये सदभावपूर्व कार्यों से उत्पन्न क्षति उपगति खर्च और समस्त अधिकार हेतु न्यास उत्तरदायी होगा कोई न्यासी या पदाधिकारी किसी अवचार, उपेक्षा या न्यास के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और वह स्वयं के अतिरिक्त किसी पदाधिकारी या अन्य सहन्यासी की तरफ किसी अवचार, या उपेक्षा या न्यास भंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा सिवाय उसके लिए वह उसके अपने लिए इच्छित अवधार या संदोष उपेक्षा से किया हो ।

*Dr. Kamal*

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 819167

(20)

- 31. यदि किसी कारणवश अथवा परिस्थितिवश न्यासी परिषद द्वारा न्यास का विघटन किया जाता है तो न्यास सम्पत्ति में से न्यास के ऊपर सभी ऋणों के भुगतान करने के पश्चात जो कुछ अवशेष होगा उसे न्यास के सदस्यों में वितरित नहीं किया जायेगा। बल्कि उसे समान उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली संस्था अथवा संस्थाओं को दे दिया जायेगा।
- 32. इस उपरोक्त न्यास पर न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे। इस न्यास विलेख दोनो पक्ष निम्नलिखित गवाहों के समक्ष उपरोक्त तिथि एवं वर्ष में हस्ताक्षरित करते हैं।

दिनांक- 22-3-2013

वेपथु कर्ता - आर्य समाज, गुरुगढ़, रायबरेली (उ.प्र.)

साक्षी- श्री जे.डी. कुमार सिंह  
 श्री सुधीर कुमार सिंह  
 श्री. नारायण चंद्र कुमार  
 श्री. - श्री. 2 (अन्य)

संस्थापक

Shri Kumar Singh



श्री. विजय कुमार सिंह  
 श्री. सुधीर कुमार सिंह  
 श्री. सुधीर कुमार सिंह